प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 03 फरवरी, 2022**

विषयः-केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, गोण्डा हेतु केन्द्रांश की धनराशि एस0एन0ए0 एकाउण्ट में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रति मेडिकल कालेज हेतु रू0 325.00 करोड़ की अधिकतम लागत स्वीकृत की गयी है। उक्त योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य व्यय अनुपात 60:40 होगा। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज, गोण्डा के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 281.7110 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 18.12.2020 द्वारा प्रदान की गयी। पूर्व में शासनादेश दिनांक 27.03.2020 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश रू0 50.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 12.00 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश दिनांक 21.09.2021 द्वारा रू0 15.00 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी। इस प्रकार केन्द्रांश के रूप् में कुल रू0 27.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- भारत सरकार द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों हेतु वांछित केन्द्रांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एजेन्सी के सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते में रखा जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलैन्स एकाउन्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ फेज-3 खाता संख्या- 40681736693 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, गोण्डा की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 281.7110 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश रू0 50.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 23.00 करोड़ (रू0 तेईस करोड़) केन्द्रांश** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0112-मेडिकल कालेज गोण्डा (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- शासनादेश संख्या-71/2020/1456/71-03-2020-एन0एम0-14/2019, दिनांक 18.12.2020 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/द्विनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोण्डा।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।